न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डु(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 70 / 2022

धनमनी देवी बनाम विश्वनाथ उपाध्याय वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
09-06-2022	प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी खोनाहतु के अप्राथमिकी संख्या– 05/22 दिनांक 22/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जानवर द्वारा फसल को खाने की बात को लेकर विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 18-06-2022 को उपस्थापित करें। 09/06 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
18-06-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष वकालतनामा के साथ उपस्थित। उभय पक्ष दिनांक 04-07-2022 को जवाब दाखिल करें। 18/06 अनु० दण्डा०	

अनुसूची 14 – फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563

पृष्ठ संख्या-(04)

आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate
28-11-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से स्वतंत्र गवाही गंधर्व महतो से परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण लिया गया तत्पश्चात गवाही को मुक्त किया गया। द्वितीय पक्ष दिनांक 12-12-2022 को गवाही रखें। कार्य० दण्डा० कुण्डू।
12-12-2022	उभय पक्ष हाजरी। प्रथम पक्ष की ओर से बाद में अवधि विस्तार हेतु आवेदन प्राप्त। पीठासीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 19-12-2022 को रखें। ह०–
19-12-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। साथ ही द०प्र०सं० की धारा – 116(06) के अनुसार धारा-107 की कालावधि छः (06) माह की होती है। इस बाद में भी वैधानिक समय सीमा छः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात बाद कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी दोनो पक्षों में शांति बने रहने, तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में बाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को सूचित करें। कार्य० दण्डा० कुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 16:45:13 +05:30
Location: 10.93.79.5